प्रशिक्षण शुल्क (प्रवेश के समय देय)

1. प्रशिक्षण शुल्क (केवल सामान्य एवं पिछड़ा वर्ग के आवेदकों के लिये) फ्री सीट के अंतर्गत एक वर्षीय व्यवसायों के लिये **रू. 1000/-** दो वर्षीय व्यवसायों के लिये **रू. 2000/-** प्रशिक्षणार्थी सुविधानुसार प्रवेश के समय **रू.1000/-** तथा दूसरे वर्ष के आगामी वर्ष के अगस्त माह में रू. 1000/- जमा कर सकते हैं)
2. अनुसूचित जाति/जनजाति के आवेदकों को शिक्षण शुल्क में छूट दी गई है ।
3. सभी वर्गो के महिला आवेदकों को शिक्षण शुल्क से छूट दी गई है।

प्रशिक्षण शुल्क से प्राप्त होने वाली राशि संस्था विकास समिति के बैंक के खाते में जमा की जाती है।

टीप :- संस्था में प्रवेश लेने के पश्चात उसी संस्था में वांछित व्यवसाय की प्रतीक्षा सूची में चयन होने पर प्रवेश हेतु पुनः प्रशिक्षण शुल्क जमा नहीं करना पड़ेगा। प्रशिक्षण बीच में छोड़ने अथवा निष्कासन की स्थिति में प्रशिक्षण शुल्क एवं पेमेंट सीट हेतु जमा किया गया शुल्क वापस नहीं किया जायेगा ।

काशनमनी :- रू. 50/- (सभी आवेदकों को देय)

यह राशि परीक्षा पूर्ण होने के बाद लौटाई जा सकेगी । परन्तु यदि प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षणार्थी जानबूझकर साज-सामान को गुम करता है या टूट-फूट करता है तथा उसके लिये जिम्मेदार पाया जाता है अथवा बिना किसी ठोस कारण के प्रशिक्षण बीच में ही छोड़ देता है या निष्कासित किया जाता है तो यह राशि राजसात कर ली जायेगी । एक ही सत्र में दूसरे व्यवसाय में प्रवेश लेने पर पुनः कांशनमनी जमा करनी होगी तथा पहले जमा की गई कांशनमनी राजसात हो जायेगी ।

गुम हुये या टूट-फूट हुये सामग्री के मूल्य की पूर्ति यदि इस राशि से नहीं होती है, तो शेष राशि अलग से वसूल की जायेगी । प्रशिक्षण सत्र समाप्ति के तीन वर्ष तक यदि वह राशि वापस नहीं ली जा सकी, तो नियमानुसार यह राजसात हो जायेगी एवं राज्य कोषालय में जमा करा दी जावेगी ।

मध्यप्रदेश शासन,
जनशक्ति नियोजन विभाग
मंत्रालय

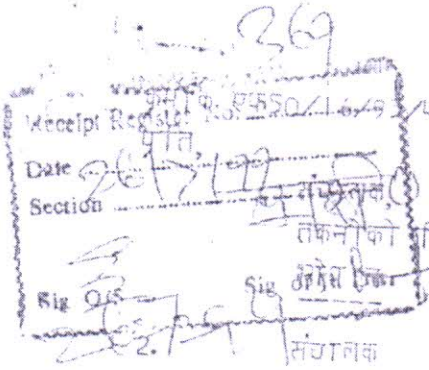

Receipt Register No. 269
Date 26/7/99
Section
Sig. Sig.

क्रमांक एफ 550/16/99/42-1/ भोपाल, दिनांक 8. 7. 99

प्रति,
संचालक,
तकनीकी शिक्षा मंडल
भोपाल

संचालक
रोजगार एवं प्रशिक्षण, म. प्र.
जबलपुर.

विषय: तकनीकी संस्थाओं के शिक्षण शुल्क में वृद्धि

संदर्भ: इस विभाग का समसंख्यक पत्र दिनांक 1. 6. 1994

. . . . . .

राज्यशासन प्रदेश के इंजीनियरिंग महाविद्यालयों/पोलीटेकनिकों तथा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में शिक्षण शुल्क सत्र 1999-2000 से प्रथम वर्ष में प्रवेश लेने वाले छात्रों/प्रशिक्षणार्थियों (अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों एवं प्रशिक्षणार्थियों को छोडकर) के लिए निम्नानुसार बढ़ा हुआ शिक्षण शुल्क प्रभावशील करने की स्वीकृति प्रदान करता है :-

क्रमांक.	संस्था	राज्य के छात्रों से वर्तमान में लिए जाने वाला शिक्षण शुल्क प्रति वर्ष /प्रति छात्र	राज्य के छात्रों से सत्र 1999-2000से लिए जाने वाला शिक्षण शुल्क प्रति [illegible]/ प्रतिवर्ष
1.	इंजीनियरिंग महाविद्यालय	रू0 2,000/-	रू0 10,000/-
2.	पोलीटेक्नीक	रू0 1,000/-	रू0 5,000/-
3.	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था	रू0 -	रू0 1,000/-

. . . 2. .

2/ प्रत्येक शिक्षण संस्था के लिए एक विकास समिति गठित की जाकर कंडिका 1 के अनुसार शिक्षण शुल्क से प्राप्त होने वाली राशि समिति के बैंक के खाते में जमा की जायेगी। समिति इस राशि का उपयोग, शैक्षणिक व्यवस्था के लिए आवश्यक उपकरण क्रय करने एवं अन्य आवश्यकता पूरी करने में कर सकेगी।

3/ (I) शतप्रतिशत अनुदान प्राप्त संस्थाओं को वार्षिक पोषण अनुदान में प्रतिवर्ष 25 प्रतिशत की कमी करते हुए चार वर्ष के पश्चात अनुदान की प्रथा को समाप्त किया जाए ।

(II) भविष्य में पोषण अनुदान केवल उन्हीं संस्थाओं को दिया जाए जिसमें शासी निकाय का गठन शासन के सुझाव अनुसार किया गया हो ।

यह स्वीकृति वित्त विभाग के पृष्ठांकन क्रमांक. 434/सीआर/272/4/बी/3, दिनांक 9.7.99 द्वारा महालेखाकार ग्वालियर को पृष्ठांकित की गई है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नामसे
तथा आदेशानुसार.

संचालनालय रोज. एवं प्रशिक्षण
मध्यप्रदेश

सही/
(एस0बी0एस0भदौरिया)

क्रमांक. संरोप्र/प्रशि/वि. समिति-4/ 8520 /जबलपुर, दिनांक. 15-7-99

प्रतिलिपि:

1. समस्त संयुक्त संचालक, क्षेत्रीय कार्यालय औ.प्र.सं. म.प्र. को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

2. समस्त प्राचार्य/अधीक्षक आ/महिला औ0प्र0संस्थाऐं, म.प्र. को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित । उक्त पत्र का अच्छीतरह अध्ययन किया जावे एवं निहित निर्देशानुसार तत्काल प्रभाव से आवश्यक कार्यवाही की जावे ।

3. समस्त अधिकारी (प्रशिक्षण पक्ष) संचालनालय, रोजगार एवं प्रशिक्षण जबलपुर को सूचनार्थ प्रेषित ।

अतिरिक्त संचालक
संचालनालय, रोजगार एवं प्रशिक्षण
मध्यप्रदेश